न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 03/2018

अनवान :–

1. मूलसिह पुत्र फुलसिंह जाति राजपुत निवासी वार्ड नं. 15 नया 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गुलाबकंवर पत्नी फुलसिंह जाति राजपुत निवासी वार्ड नं. 15 नया 18 भादरा।
3. गोरधनसिंह पुत्र फुलसिंह जाति राजपुत निवासी वार्ड नं. 15 नया 18 भादरा।
4. दुर्गादेवी पुत्र फुलसिंह जाति राजपुत निवास वार्ड नं. 15 नया 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्टस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. नन्दलालसिंह पि0मु0 रतनसिह जाति राजपुत निवासी वार्ड नं. 17 नया 20 भादरा तहसील भादरा।
3. महावीरसिंह पुत्र फुलसिह जाति राजपुत निवासी वार्ड नं. 15 नया 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडन्टस

अपील विरूद्व इन्तकाल सं0 663 दिनांक 06.07.2017 रोही मोजा चक 3 बीएचडी को शून्य एवं बेअसर घोषित करन बाबत।

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी – **अपीलान्टस**

वकील श्री विक्रम शर्मा– **रेस्पोडन्टस सं. 1**

वकील श्री कृष्ण कुमार गर्ग – **रेस्पोडेन्ट सं0 2**

निर्णय **दिनांक :** 20.8.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 3 बीएचडी के खाता संख्या 72/60 के मु.न. 39 किला नं. 16, 23, 24, 25, मु.न. 59 किला नं. 1 व 10, मु.न. 60 किला नं. 4 ता 7, 14 कुल 2.783 हैक्टर नहरी व बारानी खातेदारी अपीलान्ट के पिता फुलसिंह वल्द हरिसिंह के नाम खातेदारी हुआ करती थी। अपीलान्ट के पिता फुलसिंह के देहान्त होने पर उक्त खातेदारी अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस सं. 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हो गई थी। परन्तु वादभूमि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस सं. 3 के साथ साथ जरिये इन्तकाल सं. 663 रेस्पोडेन्टस सं. 2 के भी नाम से तस्दीक रजिस्टर कर दिया गया। जिसको अपीलान्टस निम्न आधार पर चुनोति दे रही है:–

:आधार अपील:

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादभूमि के संबंध में तस्दीक किये गये इन्तकाल सं. 663 दिनांक 06.07.2017 विधि विरूद्ध तरीके से नियमों की अवहेलना कर जन्मजात शून्य दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल की प्रमाणित प्रति अपील के साथ संलग्न है।

रेस्पोडेन्टस सं. 2 नन्दलालसिह अपने बचपन में ही रतनसिह वल्द हरिसिंह के गोद चला गया था तथा उसने रतनसिह की शकुनत हासिल कर ली एवं रतनसिह की विरासत सम्भाल ली थी। गोदनामा दिनांक 17.03.2008 की प्रति संलग्न अपील है। जिसके द्वारा ननदलालसिह अपने प्राकृतिक पिता फुलसिह से अपने दतक पिता रतनसिह की शकुनत हासिल की है।

रेस्पोडेन्टस नन्दलालसिह के गोद चले जाने के बाद फुलसिह के हक पर अपीलान्टसव रेस्पोडेन्टस सं. 3 ही प्रथम श्रेणी के वारिस रहे थे। फुलसिह का देहान्त दिनांक 15.04.2017 को हुआ था तथा फुलसिह ने अपने देहान्त होने के समय अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस सं. 3 को वारिस के रूप में छोड़कर गया था। इस प्रकार फुलसिह की सम्पति में रेस्पोडेन्ट नन्दलालसिह का कोई हक हिस्सा नही बनता था फिर भी फुलसिह के देहान्त होने पर फुलसिह की उक्त खातेदारी के विरासतन इन्तकाल में महावीरसिह रेस्पोडेन्ट ने नन्दलालसिह का नाम दर्ज करवा दिया।

उक्त तथाकथित इन्तकाल दर्ज एवं तस्दीक करते समय अपीलान्टस को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया था तथा ना ही इस बाबत अपीलान्टस से कोई पुछताछ ही की गई थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 ने उक्त इन्तकाल की कार्यवाही छुपे तौर पर की है।

जब नन्दलालसिह अपने दतक पिता रतनसिह की शकुनत एवं उनकी विरासत हासिल कर ली थी तो ऐसी स्थिति में उसका फुलसिह की सम्पति में कोई हक हिस्सा नही रहा था, फिर भी उक्त समस्त तथ्यों की नन्दलालसिह को जानकारी होते हुये भी महावीरसिह रेस्पोडेन्ट ने उक्त तथाकथित इन्तकाल में अपना नाम दर्ज करवाया है ताकि महावीरसिह, नन्दलालसिह से उसके नाम दर्ज हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा सके। उक्त इन्तकाल से रेस्पोडेन्ट नन्दलालसिह को कोई हक एवं अधिकार हासिल नही हुये है।

इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष में उक्त तथाकथित इन्तकाल सं. 663 रोही चक 3 बीएचडी दिनांक 06.07.2017 दर्ज एवं तस्दीक करते समय रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने भी अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया था। ना ही ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल बाबत कोई स्वीकिंग आदेश लिखाया गया जिसके चलते उक्त तथाकथित इन्तकाल सं.663 बमुकाबले अपीलान्ट शून्य एवं प्रभावहीन है।

अब कोई व्यक्ति किसी के दतक चला जाता है तो दतक जाने के बाद में अपने प्राकृतिक पिता के देहान्त होने पर उसकी विरासत हासिल नही कर सकता तथा ना ही प्राकृतिक पिता का वह किसी प्रकार से वारिस या उतराधिकारी ही रहता है। उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 2 नन्दलालसिह को कोई हक अधिकार हासिल नही हुये है तथा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त तथाकथित इन्तकाल शून्य व बेअसर है तथा ना ही नन्दलालसिह का वादभूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा है।

उक्त इन्तकाल तस्दीक करते समय माईण्ड अप्लाई नही किया तथा ना ही उक्त आदेश न्यायिक निर्णय की परिभाषा में आता है तथा यह मनमाना एवं स्वेच्छाचारितापूर्ण आदेश हैं।

उक्त अपीलाधिन आदेश दिनांक 06.07.2017 का है, लेकिन अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल की कोई सूचना नही दी गई एवं ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था तथा उक्त समस्त कार्यवाही रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 के द्वारा छुपे तौर पर किया गया है। अब अपीलान्टस अपनी खातेदारी का विरासती इन्तकाल दर्ज करवाने के लिये हल्का पटवारी के पास गये तो उन्होने अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज होने व नन्दलालसिह का भी खाता में नाम होना बताया तो अपीलान्ट को उक्त तथाकथित इन्तकाल की सूचना मिली है। जिस पर दिनांक 28.05.2018 को इस बाबत राजस्व रिकार्ड एवं इन्तकाल आदि की नकलें ली है, जिस पर प्रथम बार उक्त तथाकथित इन्तकाल की सूचना अपीलान्ट को हुई है जिस पर बिना देरी किये उक्त अपील पेश की जा रही है।

अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं. 663 दिनांक 06.07.2017 रोही मोजा चक 3 बीएचडी को तस्दीक किया गया है, को अपास्त व निरस्त किया जाकर पुनः नामान्तरण खोला जाकर उक्त वादभूमि को अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट सं. 3 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार इन्तकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट स. 3 बाद तामील उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे लिखित बहस पेश की, एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने मौखिक पेश बहस की तथा रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपनी लिखित बहस में ''कथन किया है कि नन्दलालसिह के अपने ताउ रतनसिह के गोद जाने बाबत कोई गोदनामा पेश नही किया गया था जिसके चलते ग्राम पंचायत को इस बारे में कोई जानकारी नही होने के चलते उक्त इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया था। ग्राम पंचायत के समक्ष महावीरसिह ने जो दस्तावेज पेश किये थ उसमें नन्दलालसिह के गोद जाने के बारे मे कोई अंकन नही था। उक्त तथाकथित इन्तकाल तथ्य की भूल के चलते दर्ज होकर तस्दीक हुआ है। जिसमें किसी भी प्रकार रेस्पोडेन्ट को कोई दोष नही था , यह सही है कि फुलसिह के पुत्र नन्दलालसिह के गोद जाने के बाद फुलसिह के वारिसान के रूप में पुत्र मूलसिह, गोरधनसिह, महावीरसिह तथा पुत्री दुर्गादेवी एवं पत्नी गुलाबकंवर ही शेष है''

वकील अपीलान्ट का कथन है कि रोही मोजा चक 3 बीएचडी के खाता संख्या 72/60 के मु.न. 39 किला नं. 16, 23, 24, 25, मु.न. 59 किला नं. 1 व 10, मु.न. 60 किला नं. 4 ता 7, 14 कुल 2.783 हैक्टर नहरी व बारानी खातेदारी अपीलान्ट के पिता फुलसिंह वल्द हरिसिंह के नाम खातेदारी भूमि मूं नामान्तरण सं. 663 दिनांक 06.07.2017 को अपास्त व निरस्त किया जाकर पुनः नामान्तरण खोला जाये।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की लिखित बहस का मनन किया गया पत्रावली एवं तलब शुदा रिकार्ड का अध्ययन किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी लिखित बहस में अपीलान्ट की अपील का कोई खण्डन नही किया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने लिखित बहस में अपीलान्ट की अपील का कोई खण्डन नही किया है। तथा रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपनी लिखित बहस में ''कथन किया है कि नन्दलालसिह के अपने ताउ रतनसिह के गोद जाने बाबत कोई गोदनामा पेश नही किया गया था जिसके चलते ग्राम पंचायत को इस बारे में कोई जानकारी नही होने के चलते उक्त इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया था। ग्राम पंचायत के समक्ष महावीरसिह ने जो दस्तावेज पेश किये थे उसमें नन्दलालसिह के गोद जाने के बारे मे कोई अंकन नही था। उक्त तथाकथित इन्तकाल तथ्य की भूल के चलते दर्ज होकर तस्दीक हुआ है। जिसमें किसी भी प्रकार रेस्पोडेन्ट को कोई दोष नही था , यह सही है कि फुलसिह के पुत्र नन्दलालसिह के गोद जाने के बाद फुलसिह के वारिसान के रूप में पुत्र मूलसिह, गोरधनसिह, महावीरसिह तथा पुत्री दुर्गादेवी एवं पत्नी गुलाबकंवर ही शेष है'' प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका मण्डल भादरा, मृत्यु प्रमाण फुलसिह दिनांक 15.04. 2017,नामान्तरण की प्रमाणित चित्रप्रति चक 3 बीएचडी, जमाबंदी चक 3 बीएचडी खाता संख्या 73/60 की प्रमाणित चित्रप्रति, गोद–पत्र(खोलानामा) दिनांक 17.03.2008 की प्रति, सदस्य प्रमाण पत्र रतनसिह पुत्र हरिसिह दिनांक 18.02.2009 नगरपालिका भादरा की प्रति,परिवार राशन कार्ड मैना देवी पत्नी रतनसिह नगरपालिका भादरा वार्ड सं. 17 की चित्रप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र रतनसिह पुत्र हरिसिह दिनांक 03.04.2001 नगरपालिका भादरा की चित्रप्रति,कर निर्धारण सूची नगरपालिका भादरा वर्ष 2003–04 क्र.स. 147, परिवार राशन कार्ड वार्ड नं. 17 नन्दलाल पुत्र रतनसिह नगरपालिका भादरा की चित्रप्रति, मतदाता पहचान पत्र नन्दलाल सिह पुत्र रतनसिह वार्ड नं. 17 नगरपालिका भादरा की चित्रप्रति आदि प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन जिससे यह साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 नन्दलाल के नाम से वर्तमान में जारी समस्त दस्तावेजात में पिता का नाम फुलसिह ना होकर रतनसिह दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा नामान्तरण सं. 663 दिनांक 06.07.2017 रोही मौजा चक 3 बीएचडी द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार भादरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उपर वर्णित इन्तकाल की पुनः जांच करें तथा समस्त दस्तावेजों की जांच कर इन्तकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही करें।

अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख यदि प्राप्त हुआ है तो निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे तथा एक प्रति तहसीलदार भादरा को पृथक से प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़